



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/प्रमोशन (GAZ)/10/3227 दिनांक:-10.09.2019

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-248/2019

विषय:-Pre-selection Training to SC/ST Candidates for selections held for promotion from Group 'C' to Gr. 'B' posts.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(GP)2010/2/39 दिनांक 28.08.2019, RBE No. 142/2019 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	88-E(SCT)I/42/2 dated.8.04.1991	81/1991
2.	E(SCT)74CM15/1 dated 26.1.1974	62/1974

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (4 पृष्ठ)


10-9-19
(हफिज मोहम्मद)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

E/R No. 242/2019
P/1

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBE No: 142/2019

No. E(GP)2010/2/39

New Delhi, dt: 28/08/2019

The General Managers (P),
All Indian Railways and Production Units.

(Kind attn.: PCPOs, PFAs, Dy. CPO/G, Dy.CAO(G))

Sub: Pre-selection Training to SC/ST Candidates for selections held for promotion from Group 'C' to Gr. 'B' posts.

Ref: Board's letter nos. E(SCT)74CM15/1 dated 26.1.1974, 75-E(SCT)15/34 dated 12/08/1975, 83-E(SCT) 42/1 dated 14.04.1983, 88-E(SCT) 1/42/2 dated 8.04.1991, E(GP) 91/2/10 dated 05.03.1991, 02.07.1991, 06.05.1992 and 20.10.1993.

62/74
81/91

In order to improve the representation of SC and ST candidates in services through promotion, instructions were issued vide Board's letter no. E(SCT)74CM15/1 dated 26.1.1974 for imparting pre-selection coaching to all eligible candidates from reserved category. Thereafter, several guidelines/clarifications have been issued in this regard from time to time.

2. These instructions have since been reviewed and in supersession of all existing instructions issued on the subject including those issued by the Reservation Directorate of the Board (to the extent of promotion to Group 'B' posts only), following instructions may be kept in view for imparting pre-selection training while holding Selections/LDCEs for promotion from Group 'C' to Group 'B' posts:

i) Pre-selection training must cover the syllabus prescribed for Selections/LDCEs held for promotion to Group 'B' posts and should be imparted to all eligible candidates from reserved category, who are to be considered against vacancies reserved for them in Safety as well as Non-Safety category posts. Training can also cover clarifications/removal of doubts on different subjects in the syllabus.

ii) Pre-selection training is not required if there is no reserved vacancy and candidates are appearing in the Selections/LDCEs against unreserved vacancies.

iii) The course content, design and module of Pre-selection Training covering the syllabus should be finalised in consultation with PHOD/HOD of the concerned Department to ensure its efficacy.

iv) The Pre-selection Training should be spread over 15-20 working days (3-4 weeks). Further, Pre-selection Training being imparted should not be less than 60 hours.

v) Training may be arranged as far as possible in the Zonal Training Schools/System Technical Schools and if not found possible, it may be arranged at Divisional level and should be managed without serious dislocation to the work.

vi) The serving divisional officers and supervisors as well as retired officers and supervisors can be deputed to take the classes.

3. It may also please be noted that pre-selection training classes are mandatory for reserved category candidates who are being considered for appearing in the Selections held for promotion to Group 'B' posts against vacancies reserved for them. If any of the candidates wants to opt out of the same, his/her refusal should be obtained in writing and its record may be kept. Similarly, if any of the staff cannot attend the course on account of leave, sickness or any other reasons; they will have to wait for the next coaching classes or make their own arrangement for self coaching. Not attending the coaching classes on this account will not be treated as an excuse for cancellation of the Selections/LDCEs or for demanding another coaching class.

4. Please acknowledge receipt



(Meenakshi Saluja)
Dy. Director, Estt.(GP)III
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 147/2019

सं. ई(जीपी)2010/2/39

नई दिल्ली, दिनांक: 28/08/2019

महाप्रबंधक (पी),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

(ध्यानार्थ: पीसीपीओ, पीएफए, उप सीपीओ/जी, उप सीएओ/जी)

विषय: ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' पदों में पदोन्नति के लिए आयोजित किए जाने वाले चयन के लिए एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए चयन-पूर्व प्रशिक्षण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 26.1.1974 का पत्र सं. ई(एससीटी)74सीएम15/1, दिनांक 12/08/1975 का 75-ई(एससीटी)15/34, दिनांक 14.04.1983 का 83-ई(एससीटी)42/1, दिनांक 8.04.1991 का 88-ई(एससीटी)1/42/2, दिनांक 05.03.1991, 02.07.1991, 06.05.1992 और 20.10.1993 का ई(जीपी) 91/2/10.

सेवाओं में पदोन्नति के जरिए एससी एवं एसटी उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से, बोर्ड के दिनांक 26.1.1974 के पत्र सं. ई(एससीटी)74सीएम15/1 के तहत आरक्षित कोटि से सभी पात्र उम्मीदवारों को चयन-पूर्व कोचिंग देने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। इसके पश्चात, इस संबंध में समय-समय पर कई दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

2. इन अनुदेशों की समीक्षा की गई है और इस विषय पर बोर्ड के आरक्षण निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों सहित सभी मौजूदा अनुदेशों (केवल ग्रुप 'बी' पदों में पदोन्नति तक ही) के अधिक्रमण में ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' पदों में पदोन्नति के लिए चयन/एलडीसीई आयोजित करते समय चयन-पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए:

- i) चयन-पूर्व प्रशिक्षण में ग्रुप 'बी' पदों में पदोन्नति के लिए आयोजित चयन/एलडीसीई के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम कवर होना चाहिए और आरक्षित श्रेणी से सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिन पर संरक्षा और साथ ही संरक्षा से इतर श्रेणी के पदों में

उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के तहत विचार किया जाना है। प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण/संदेह को दूर करना भी शामिल है।

- ii) यदि कोई आरक्षित रिक्ति नहीं है और उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के तहत चयन/एलडीसीई में भाग ले रहे हैं, तो चयन-पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- iii) पाठ्यक्रम सहित चयन-पूर्व प्रशिक्षण की अध्ययन संबंधी विषयवस्तु, डिजाइन और मॉड्यूल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे संबंधित विभाग के पीएचओडी/एचओडी के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाए।
- iv) चयन-पूर्व प्रशिक्षण 15-20 कार्य दिवस (3-4 सप्ताह) का होना चाहिए। इसके अलावा, चयन-पूर्व प्रशिक्षण 60 घंटों से कम नहीं होना चाहिए।
- v) जहां तक संभव हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल/सिस्टम तकनीकी स्कूल में की जाए और यदि संभव न हो, मण्डल स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाए और इसका प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि कार्य में कोई गंभीर अव्यवस्था न हो।
- vi) कार्यरत मण्डल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को कक्षाएं लेने के लिए तैनात किया जा सकता है।

3. कृपया यह भी नोट किया जाए कि ग्रुप 'बी' पदों में आरक्षित रिक्तियों के तहत पदोन्नति के चयन हेतु विचाराधीन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन-पूर्व प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहता है, तो उससे लिखित में असम्मति ली जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार छुट्टी, बीमारी अथवा किसी अन्य कारणों से कोर्स में उपस्थित नहीं हो पाते हैं; उन्हें अगली कोचिंग कक्षाओं तक प्रतीक्षा करनी होगी अथवा कोचिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस आधार पर कोचिंग क्लास में भाग नहीं लेने पर चयन/एलडीसीई को रद्द करने अथवा अन्य कोचिंग कक्षा की मांग करने का बहाना नहीं माना जाएगा।

4. कृपया पावती दें।



(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक, स्थापना (जीपी)।।।

रेलवे बोर्ड